**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4441**

**27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**स्मार्ट सिटी मिशन की संपरीक्षा**

**†4441. एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के लिए आवंटित निधि के दुरुपयोग को रोकने और निधि उपयोग की संपरीक्षा करने के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके आरंभ से अब तक वित्तीय अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए हैं और क्या उनका समाधान किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा शासन संरचनाओं को सुदृढ़ करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत विशेष प्रयोजन तंत्र का ऑडिट राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा द्वारा किया जाता है। एससीएम के तहत शहरों को केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ख) एससीएम की शुरुआत से मंत्रालय को ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ग) एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। शहरी स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के बीच सलाह और सहयोग को संभव बनाने के उद्देश्य से सभी 100 स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की स्थापना का प्रावधान है ।

****